

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जल
मुकदमा संख्या :- 212/2022
सुरताराम बनारस राजस्थान सरकार
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एकट

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

9.12.22

तहसीलदार झुंझुनू से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम इस्लामपुर की जमाबंदी सम्वत् 2074-77 खाता सं. 453, 145 में प्रार्थी का नाम सुरतसिंह पुत्र लिखमणराम जाति जाट दर्ज रिकार्ड है जो कि गलत है जबकि प्रार्थी द्वारा पेश दरस्तावेज आधार कार्ड में सुरताराम पुत्र लक्ष्मण सिंह दर्ज है जो कि सही है। प्रार्थना पत्र का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने से स्पष्ट है कि यह त्रुटि भूलवश हुई है, जिसको दुरुस्त किया जाना न्यायोचित है। अतः संलग्न रिकार्ड एवं तहसीलदार झुंझुनू की अभिशंषा के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एकट न्यायालय मंत्र पर स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार खाता शुद्ध करने के आदेश दिए जाते हैं। तहसीलदार रिपोर्ट आदेश का अभिन्नाभाग रहेगी। जमाबंदी के शेष इन्द्राज यथावत रहेंगे। तहसीलदार झुंझुनू को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना करे। पत्रावली फेशल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कमा हो एवं बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निम्नलिखित दस्तावेज हैं जो कि निर्णय आज दिनांक 9.12.22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

यह त्रुटि भूलवश हुई है, जिसको दुरुस्त किया जाना न्यायोचित है।

(उप खण्ड अखिलेश्वरी
झुंझुनू (राज.)

इस तहसीलदार रिपोर्ट आदेश का अभिन्नाभाग रहेगी। जमाबंदी के शेष इन्द्राज यथावत रहेंगे। तहसीलदार झुंझुनू को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना करे। पत्रावली फेशल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कमा हो एवं बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निम्नलिखित दस्तावेज हैं जो कि निर्णय आज दिनांक 9.12.22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।